



D.

अनुमण्डल पदाधिकारी का न्यायालय, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर। आदेश फलक

धारा-144 द०प्र०सं०
वाद संख्या 53/2021

डा. शिवानी प्रधान

- बनाम -

बंशीक प्रदान 29-06-21

08-06-2021- चूंकि आवेदक के आवेदन/थाना द्वारा प्राप्त अप्राथमिकी संख्या डा. शिवानी प्रधान के विरुद्ध चक्रधरपुर के अवलोकन से मैं संतुष्ट हूँ कि पूर्वम पक्ष (1) डा. शिवानी प्रधान (2) बंशीक प्रदान (3)

डा. बंशीक प्रदान (4) सामु प्रदान (5) शिवानी प्रदान (6) बंशीक प्रदान (7) चक्रधरपुर 05-08-2021

प्रदान (8) वजारी प्रदान (9) सुरती प्रदान 06-08-2021

..... नीचे वर्णित अनुसूची विवादग्रस्त भूमि आदि के दखल को लेकर शान्ति भंग 07-08-2021

हाने की प्रबल सम्भावना है और इसकी रोकथाम तत्काल आवश्यक है। आवेदक के आवेदन से मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। विधि-व्यवस्था को बनाये रखने हेतु द०प्र०सं० की धारा-144 के तहत कार्रवाई आवश्यक प्रतीत होता है। इसलिए मैं धारा-144 द०प्र०सं० के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उभय पक्षों को विवादग्रस्त भूमि में जाने से और वहाँ किसी प्रकार का विघ्न डालने से सख्त निषेध करता हूँ। निर्देश दिया जाता है कारण-पृच्छा न्यायालय में दिनांक 19-06-2021 तक दाखिल करें।

भूमि का विवरण

मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा	चौहद्दी
<u>देवगाँव</u>	<u>59</u>	<u>144</u>	<u>121</u>	<u>0-01 dec</u>	पूर्व <u>शिवानी प्रदान</u>
		<u>—</u>	<u>122</u>	<u>0-01 dec</u>	पश्चिम <u>सिवाशित प्रदान</u>
			<u>(पूर्व-सर्विस)</u>		उत्तर <u>सर्विस सं० 121</u>
					दक्षिण <u>सर्विस सं० 123</u>

अनुमण्डल पदाधिकारी,
पोड़ाहाट, चक्रधरपुर

19-06-2021 अशिलेश उपकारिता / शिरीय पत्र के पक्ष (अपरा) अपरा उपकारिता / अपरा पत्र के पक्ष उपकारिता / अशिलेश शिरीय दिनांक - 29-06-2021 को उप-लक्षित करें

29-06-2021 अशिलेश उपकारिता / अपरा पत्र के पक्ष (1) शिरीय पत्र (2) अपरा पत्र (3) अशिलेश उपकारिता / शिरीय पत्र के पक्ष (1) अपरा पत्र (2) अशिलेश उपकारिता (3) अपरा पत्र (4) अशिलेश उपकारिता / शिरीय पत्र के पक्ष (1) अपरा पत्र (2) अशिलेश उपकारिता (3) अपरा पत्र (4) अशिलेश उपकारिता

अशिलेश शिरीय पत्र के पक्ष 816 दिनांक 29-06-21 अपरा

Heard both the parties. 1st party claims that the construction being done by 2nd party encroaches the plot no 124 & 122 which belong to 1st party & also verified by CO report.

2nd party claim that no construction being done for 124 & 122. Instead they have no claim whatsoever on the land & they are only interested in plot 129.

Principally the dispute seem to be on confusion & on the extent of land. CO directed to conduct survey of plots 124, 122 & 129.

Both parties have agreed to submit an affidavit, settling the confusion. New date 1/7

29/6

01-07-2021

अभिलेख उपलब्धित / प्रथम पक्ष के पक्ष ① अरवजी प्रधान ② राजीव प्रधान ③ अजय प्रधान ④ राजेश प्रधान उपलब्धित / द्वितीय पक्ष ① अशोक प्रधान ② नरेश प्रधान ③ नारायण प्रधान उपलब्धित / Next date 5/8

5/8

09-09-2021

अभिलेख उपलब्धित / प्रथम पक्ष के पक्ष ① अरवजी प्रधान ② राजीव प्रधान ③ अजय प्रधान ④ राजेश प्रधान उपलब्धित / द्वितीय पक्ष ① अशोक प्रधान ② नरेश प्रधान ③ नारायण प्रधान उपलब्धित /

Heard both parties. 1st party claim that the Hat survey and the consequent Khorian doesn't capture the true extent of their land, & that the 2nd party has encroached into a no-man's land

2nd party submits that their construction is only going on a piece of land where their construction already existed. To prove they have submitted a photographic evidence (annexure 1). The prime piece on seeing the photograph, it does appear that the construction is going on on a piece of land where construction already existed, without sketches.

Next date 29/7

5/8

24-07-2021
पत्रांक-273/2021
24-07-2021

अभिलेख उपलब्धित / प्रथम पक्ष के लिये ① अश्वनी प्रचान ②
दासीकर प्रचान ③ अलखुत प्रचान ④ सभ्य प्रचान उपलब्धित
द्वितीय पक्ष के लिये से अधिवक्ता द्वारा सचारी की गई।
Summon Amin in the court on
next day 24

Handwritten signature/initials

05-08-2021

अभिलेख उपलब्धित / प्रथम पक्ष के लिये ① अश्वनी प्रचान
② दासीकर प्रचान ③ अलखुत प्रचान ④ सभ्य प्रचान
उपलब्धित / Amin, Kk present & directed to
attend court at the side on tomorrow morning
at 9 & present finding at court tomorrow
which is next day, i.e. 8/8

Handwritten signature/initials

06-08-2021

अभिलेख उपलब्धित / प्रथम पक्ष के लिये से अधिवक्ता द्वारा
सचारी की गई। द्वितीय पक्ष के लिये से अधिवक्ता द्वारा
सचारी की गई। अभिलेख दिनांक 07-08-2021 को
उपलब्धित करें।

07-08-2021

अभिलेख उपलब्धित / प्रथम पक्ष के पत्रांक उपलब्धित /
द्वितीय पक्ष के लिये ① अश्वनी प्रचान ② मधुलि प्रचान
Prashad उपलब्धित / उक्त पक्ष के अधिवक्ता को मुद्रा विवरण
बाद कि फारमेट की चारा 145 ५०५००० से स्विकृत किया
जाता है। उक्त पक्ष को चारा 145 ५०५००० अश्वनी नौदिस
विगत करें। अभिलेख दिनांक को करें।

अभिलेख उपलब्धित /
पत्रांक 274
07-08-2021

07-08-2021

संविधान संशोधन / प्रथम पत्र के लिये (1) 4 (ए) संशोधन
 द्वितीय पत्र के लिये (2) आर्थिक मुद्रा प्रचलन (3) मध्याह्न प्रश्नोत्तर
 उपलब्ध / दोनों संविधानों को सुना / संसद संविधान संशोधन
 से पत्रांक 684 दिनांक 07-08-2021 इस नामी कर वाणिज्य वि-
 वेदन प्रचल है / वाद की कालवाधि को के अगली वाद की
 कार्यवाही समाप्त की जाती है।

